आदेश

अभिलेख अंचल अधिकारी गिरिडीह से प्राप्त हुआ । इस वाद में प्रथम पक्ष शेख मोहम्मद सलीम उद्दीन पिता शेष हाजी अब्दुल मजीद सा0 हुट्टी बाजार प्रथम पक्ष हैं एवं द्वितीय पक्ष पवन कुमार राजगढ़िया साकिन गिरिडीह सद्वितीय पक्ष हैं । इस वाद में नोटिश के बाद उभय पक्षों को सुना गया एवं आवश्यक कागजात प्रस्तुत करने हेतु कहा गया ।

सा0 गिरिडीह थाना 229 के अन्तर्गत प्रथम पक्ष ने कहा कि खाता नं0 27 प्लौट नं0 421 रकबा 0.15 7/12 डी0 भूमि की लगान रसीद निर्गत की जाए । खतियान में शेख नाजीर अली परदादा के नाम दर्ज इस खाता में कुल 3.24 एकड़ भूमि है जिसमें प्लौट नं0 421 रकबा 2.86 ए0 भूमि में जमींनदारी उन्मूलन के बाद राजमाता मंदाकनि देवी पति स्व0 शिव नारायण मौजा झरीया ने रिटर्न दाखिल किया । रिटर्न में खाता नं0 27 रकबा 5.24 एकड़ माल 16=00 (सोलह) रूपया कॉलम नं0 26 में शेख नाजीर अली के नाम से लिखा गया है। इस वाद में पंजी II के पेजनं0 , 28 भालूम 1 में शेख नाजीर अली का नाम दर्ज है । उक्त भूमि में अधिकतर हिस्सा नाजीर अली के वंशज द्वारा पूर्व में ही बिक्री की जा चुकी है जिसकी जमाबंदी विभिन्न रैयतों के नाम से दाखिल खारिज स्वीकृत होकर खोली गई है जिसमें अभी मात्र 0.15 7/12 डी0 ही बचा हुआ है ।

इस वाद में आज तक मूल रैयत के नाम से लगान रसीद निर्गत नहीं हुआ है । अंचल अधिकारी ने आम इस्तहार निकाला । सही प्लौट की जानकारी के लिए नापी कराई गई । नक्शा के अनुसार कुटिया महावीर कुटीया रोड में नहीं पड़ता है । इस वाद में विपक्षी का कहना है कि विवादित भूमि 421 प्लौट का है ही नहीं ।

द्वितीय पक्ष ने *performance of special contract of suit* प्रहलाद राय के विरूद्ध वाद दायर हुआ था जिसमें राजकुमार राजगढ़िया सुन्दर लाल राजगढ़िया पार्टी हैं, जिसकी *decree* 13-6-1910 को हुआ था । द्वितीय पक्ष ने कहा डिग्री के अनुसार चौहद्दी नही हुआ था जिसके अनुसार उ0 बाबू हजारी लाल का कम्पाउण्ड द0 प0 शेख नाजीर अली पू0 जी0एम0 लैण्ड

इस जमीन की नापी नगरपालिका के द्वारा की गई । रजिस्टर पट्टा के द्वारा मुन्सपैलीटी प्लौट नं0 2728 में 12.35 छटाक भूमि 1930 में दान दिये जिसमें नगरपालिका नं0 01 है । इसमें नगरपालिका रसीद निर्गत हो रहा है । इसमें पहला होल्डिंग नं0 457 था । दूसरा होल्डिंग नं0 697 ~~जिसमें~~ तीसरा होल्डिंग नं0 875 चौथा होल्डिंग नं0 1001 हुआ ।

द्वितीय पक्ष ने कहा कि शेख नाजीर अली के वारिशान अधिक होंगे।

नही हुए है नापी नहीं किया गया है । इस सन्दर्भ में द्वितीय पक्ष ने एक निर्णय ज्ञापक भी प्रस्तुत किया गया है, इसका भी अवलोकन किया । उभय पक्षों को सुना गया । एवं विद्वान अंचल अधिकारी गिरिडीह द्वारा पारित आदेश का भी अवलोकन किया । अंचल अधिकारी ने अपने आदेश में लिखा है कि खाता नं0 27 की सारी जमीन विभिन्न रैयतों के नाम दाखिल खारिज हो चुकी है । इसमें मात्र 0.15 $\frac{7}{12}$ डी0 ही बची हुई है । इस बची हुई भूमि के लिए प्रथम पक्ष शेख महोम्मद कलीम उद्दीन ने खतियानी रैयत नाजीर अली के वारिशानों में एक होने के कारण मालगुजारी अपने नाम से करवाने का आवेदन किये हैं । प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि उपरोक्त बची हुई भूमि अंचल अमीन के नापी से स्पष्ट हो ता है कि प्लौट नं0 421 में 0.15 $\frac{7}{12}$ डी0 भूमि बचती है । उन्होंने कहा कि नाजीर अली के वारिशानों है । अतः उन्हें लगान रसीद दिया जाए ।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि खाता नं0 27 प्लौट नं0 421 बचा हुआ रकबा 0.15 $\frac{7}{12}$ डी0 भूमि प्लौट नं0 421 का हिस्सा नहीं है । यह भूमि प्लौट 451 के अन्तर्गत नहीं आता है । द्वितीय पक्ष ने अंचल अमीन के रिपोर्ट को गलत ठहराया । द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने सर्वे नक्शा दिखाते हुए कहा कि सर्वे प्लौट नं0 421 का कोई भी हिस्सा महावीर कुटीया मंदिर जाने का रास्ते से सटा नहीं है । सर्वे नक्शा में यह रास्ता प्लौट नं0 409 के रूप में अंकित है । अंचल अमीन की रिपोर्ट के मुताबिक विवादित भूमि उपरोक्त रास्ते से सटे पश्चिम में है । द्वितीय पक्ष का कथन है कि उपरोक्त बची शेख नाजीर अली की भूमि नहीं थी, बल्कि प्रहलाद राय की थी । जिसे द्वितीय पक्ष के पूर्वजों ने दिवानी अदालत की डिग्री और रजिस्ट्री केवाला से 1909-10 में हासिल किया था और तब से वे दखलकार चले आ रहे हैं । पहले उस भूमि पर खरीदगी मकान था, जो नष्ट हो चुका है ।

15/x/03

उभय पक्षों ने अपने दावा के संबंध में कागजात प्रस्तुत किये । अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह के न्यायालय में cr.p.c 144 के अन्तर्गत फैसला हाल ही में दिनांक 12-3-03 को हुआ है । बहस में यह भी बात लाई गई की माननीय सबजज गिरिडीह के न्यायालय में टाईटल सूट 97/03 लंबित है । विद्वान अंचल अधिकारी गिरिडीह ने अपने आदेश में हकियत पर निर्णय हेतु संबंधित पक्षों को सक्षम न्यायालय में जाने का निर्देश दिया है ।

15/x/03

(1) द्वितीय पक्ष नापी का विरोध किये हैं । इस संदर्भ में अंचल अधिकारी गिरिडीह को आदेश दिया जाता है कि अन्य अंचल के अमीन द्वारा, दोनों पक्षों के समक्ष करके नापी करने के [illegible]

(19)

|2| साथ ही साथ प्रथम पक्ष के खतियानी रैयत के वारिशान होने के नाते [illegible] कानून के तहत कितने भूमि का शेयर {हिस्सा} होता है, इस संदर्भ में भी [illegible] निवेदन देंगे ।

उपरोक्त बिन्दुओं का अनुपालन हेतु मूल अभिलेख अंचल अधिकारी गिरिडीह को भेजें ।

15/XI/03
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गिरिडीह ।

लेखापित

15/XI/03
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गिरिडीह ।

27/11/03 अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गिरिडीह द्वारा अपने आदेश में यह निर्देश दिया है कि प्रश्नगत भूमि की नापी संयुक्त रूप से धनवार, जमुआ एवं डुमरी अंचल के अमीनों के दल से कराई जाए एवं दोनों पक्षों को इसकी सूचना देकर उनके समक्ष मापी कार्य कराया जाए। तीनों अमीनों की प्रतिनियुक्त उपरोक्त कार्य के लिए कराने हेतु अपरसमाहर्ता गिरिडीह से अनुरोध किया जाए, ताकि दोनों पक्षों को निश्चित तारीख पर मापी के लिए सूचित किया जा सके।

आदेशानुसार प्रथम पक्ष को नोटिस कर उनके खतियानी रैयत के वारिशान होने के नाते मुस्लिम कानून के तहत कितने भूमि का हिस्सेदार है इसके संबंध में अपना पक्ष 15 दिनों के अंदर प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। अभिलेख दिनांक 15.12.03 को रखें।

27/11/03
अं० अ०
गिरिडीह